

behaved. But we should also be aware of the reaction of the public to such behaviour.

**Advertisements by Foreign Countries
in Indian Newspapers**

*68. SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRI) be pleased to state :

(a) whether Government have any control over the advertisements given by foreign countries to the Indian newspapers ; and

(b) the amount spent by foreign countries on advertisements in the Indian newspapers in 1969 and 1970 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) The Government of India has framed rules under the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, laying down norms for the issue of publicity material by foreign missions in India. There is, however, no law or regulation preventing a foreign mission or a foreign country from giving an advertisement in an Indian newspaper.

(b) The information is not available.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Would the Government be pleased to say whether they keep track of the advertisements given by foreign agencies or foreign Governments to the Indian newspapers, whether they have any means of keeping track of the advertisements that are being given to the Indian newspapers ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHI : As far as this Ministry is concerned, we do not have any means to find out from the foreign Embassies what advertisements they give the Indian papers.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Then, may I ask as a corollary, whether Government does not think that it might well constitute a threat to the internal security of the country as it did in Ceylon an extent, and also it might amount to an interference in the internal affairs of the

country through identification with certain political parties which these advertisements seek to help.

SHRIMATI NANDINI SATPATHI : In fact, the External Affairs Ministry keep track, and whenever there is any advertisement which is against the interests of the country, they call the particular Embassy people and launch a protest.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न पहले भी उठा था और यह सुझाव दिया गया था कि सभी विदेशी दूतावासों से कहा जाये कि उन्हें समाचार-पत्रों को जो विज्ञापन देने हों वह इन्फार्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के थ्रू जाने चाहिए । मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया ? अनेक विदेशी दूतावास समाचार पत्रों में भारी-भारी विज्ञापन देकर न केवल समाचार-पत्रों को प्रभावित ही कर रहे हैं बल्कि वे देश के जनमत को भी एक विशेष दिशा में मोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं । तो सरकार के सामने क्या कठिनाई है विदेशी दूतावासों से यह कहने में कि आपके सारे विज्ञापन इन्फार्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जरिए जायेंगे ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस विषय पर विचार हो रहा है ।

**Implementation of Khosla Commission's
Report Regarding Delhi Police**

*69. SHRI DALIP SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS (GRIH MANTRI) be pleased to state :

(a) the steps Government have taken so far to implement the Khosla Commission's report in regard to the Delhi Police ; and

(b) the last target date for its implementation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI K. C. PANT) : (a) A statement showing the major recommendations and the action taken by Government, is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—183/71]

(b) It is not possible to indicate any target date for the implementation of all the recommendations.

श्री हुक्म चन्द्र कछवाय : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि इसको कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सरकार के सामने कौन सी ऐसी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से वह इसको कार्यान्वित नहीं करना चाहती है? वे कौन से कारण हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसमें कार्यान्वित न करने के चाहने का प्रश्न नहीं है। इसमें अधिकतर जो सिफारिशें थीं उनको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन कुछ सिफारिशें ऐसी हैं—मस्लन एक सिफारिस खोसला कमीशन की यह थी कि कमिश्नर आफ पुलिस यहां बनाया जाये जिस पर बाद में ला कमीशन ने भी अपनी कुछ राय दी है और लेफ्टीनेन्ट गवर्नर ने भी अपनी राय दी है। इसलिए अब इन तीनों—पुलिस कमीशन, ला कमीशन और लेफ्टीनेन्ट गवर्नर —की रायों को इकट्ठा करके विचार किया जा रहा है। इसमें इस तरह की चीजें भी हैं जिन पर फीरन कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक निष्पत्ति हो जायेगा।

श्री रामाबतार शारुनी : अध्यक्ष महोदय, कमीशन कमीशन ने पुलिसमेन की बकिंग कंडीशन्स के बारे में भी सुझाव दिये थे। मंत्री महोदय ने यहाँ पर पुलिस कमिश्नर की बात कहकर बरगलाने की कोशिश की है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पुलिसमेन की बकिंग कंडीशन्स के बारे में खोसला कमीशन ने जो सुझाव दिये थे उनको क्या आपने पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट किया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो उसके क्या कारण हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कौन सी बात सोच रहे हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, मैं ने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में कई मुद्दे रखे गये हैं—कंडीशन्स आफ सर्विस, पे ऐन्ड एलाउ'सेज, मेडिकल फैमिलिटीज, हाउसिंग फैमिलिटीज एजूकेशनल फैमिलिटीज, रेकूटमेंट एंड प्रमोशन—इन सब सिफारिशों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है वह सब उसमें दिया है। अगर माननीय सदस्य उसको पढ़ेंगे तो उनको अन्दाजा हो जायेगा कि कमीशन की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री रामचंद्र विकल : क्या माननीय गृह मन्त्री बतायेंगे कि यह आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत हुआ और क्या कुछ ऐसी भी संस्तुतियां इसके अन्दर हैं जिनको सरकार कार्यान्वित करने में असमर्थ है?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि कमिश्नर आफ पुलिस का मामला ऐसा है जिस पर अलग-अलग रायें हैं—ला कमीशन की राय अलग है, पुलिस कमीशन की राय अलग है—तो इस तरह की चीज में यह कहना कि पलां तारीख तक कर देंगे, बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि हाउसिंग का एक निश्चित प्रतिशत कब तक बढ़ जायेगा। इसमें इन्स्पेक्टर से लेकर कांस्टेबिल तक के लिए योजनायें बनाई गईं और उसके अनुसार खर्चा भी किया गया, मकान भी बने लेकिन इसी बीच पुलिस में भर्ती बंद गईं और उसकी वजह से हाउसिंग का प्रतिशत जो कि ऊंचा आ रहा था वह फिर नीचा हो गया। तो इस तरह के सवालों में निश्चित समय निर्धारित करना मुश्किल होगा।

Formation of Inter-State Council

+

*71. SHRI KALYANASUNDARAM ;
SHRI B. S. BHAURA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS (GRIH MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission's recommendation regarding